संपादकीय

जुलाई का महीना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने का सरोकार संसार में आबादी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श एवं चिंतन करने से है, जिसे 'विश्व जनसंख्या दिवस' कहा जाता है, जो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस पर हमारे देश में भी आबादी की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु तमाम प्रयासों पर मंथन किया गया। इन्हीं प्रयासों में शिक्षा एक प्रमुख घटक है। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में अव्वल रहना, देश की सामाजिक व्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, 'लड़कियों की शिक्षा का कितना महत्व है, इस पर जितना ज़ोर दिया जाए, उतना ही थोड़ा है। हमारे मानवीय साधनों के पूर्ण विकास, घरों के सुधार, निर्माण के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा गया है, महिलाओं की शिक्षा प्रजनन दर को घटाने में काफ़ी सहायता कर सकती है।' परंतु वर्तमान दौर में प्रजनन दर पर नियंत्रण तो हुआ, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रभाव लड़कियों की जन्म-दर पर पड़ा। देश में केरल एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर लड़कों की तुलना में लड़कियाँ अधिक हैं, बाकि राज्यों में यह स्थिति एकदम विपरीत है, अर्थात् लड़कियाँ कम व लड़के अधिक। यही जेंडर अनुपात में असमानता समाज के लिए गंभीर समस्या हो गई है।

इस समस्या का मुकाबला करने में शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा या यह कहें कि महिला शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। इसी कड़ी में रश्मि श्रीवास्तव का लेख "भारत में महिला साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ" तथा इन चुनौतियों का सामना करने हेतु सुझाए गए उपाय, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। वहीं इन्दु दहिया और बी. एस. डागर के लेख "बालकों में जानने और समझने संबंधी उपकरणों का विकास—एक व्यावहारिक उपागम" बच्चों में स्वतंत्र चिंतन करना सिखाने पर ज़ोर देता है। बच्चों में विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता का विकास होने पर अध्यापक उन्हें संश्लेषणात्मकता अर्थात् पूर्णता की ओर ले जाएगा। यही पूर्णता गेस्टाल्टवादी विचारधारा की ओर ले जाती है। जिसमें बालक कला समीक्षा, सौंदर्यानुभूति, सृजनात्मकता आदि संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाएँ करता है। इन्हीं सभी बातों का समावेश प्रतिभा ने अपने शोध पत्र में किया है।

हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया है जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी मौलिक शिक्षा की गुणवत्ता को परखने का काम सीमा शर्मा द्वारा "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विद्यार्थियों की नियमितता व शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव" पर किए गए

शोध अध्ययन तथा "शिक्षा के अधिकार कानून का यथार्थ—एक विवेचना" पर सुनीता सिंह द्वारा शोध अध्ययन के माध्यम से किया गया। दोनों शोध अध्ययनों द्वारा बच्चों को मौलिक शिक्षा प्रदान करने के तमाम प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर वास्तविकता से अवगत कराया गया है।

शिक्षा के अधिकार ने बालकों को सक्रिय रखते हुए सिखाने पर ज़ोर दिया, जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षण प्रमुख है। इस पर सरिता बोबड़े और मधुलिका वर्मा ने "गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों का अध्ययन" नामक शोध अध्ययन किया।

संजीव शुक्ला ने "इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों की व्यावसायिक अभिरुचियों का तुलनात्मक अध्ययन" पर शोध कार्य किया। यह कार्य वाणिज्य व विज्ञान संकाय के सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर किया गया। वहीं विद्यार्थियों में तर्कशक्ति बढ़ाने वाली "वैदिक गणित शिक्षण विधि एवं परंपरागत गणित शिक्षण विधि में तुलनात्मक अध्ययन" पर आरती शाक्य और अर्चना दुबे ने शोध अध्ययन किया।

हम ऐसी शिक्षण विधियों की बात करते हैं जो अधिगमकर्ता को सतर्क व सक्रिय रखें, जिससे उनमें ग्रहणशीलता बढ़े। उन विधियों में से एक ऐसी विधि या तकनीक है, जिसे विशेषकर उच्च स्तर की कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा अध्यापन के दौरान उपयोग करने पर अधिगमकर्ता अधिक सीख सकते हैं। इस तकनीक को झटका तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक पर डी. एन. सनसनवाल के अंग्रेज़ी में लिखे मौलिक लेख का भारती द्वारा हिंदी भाषी पाठकों के लिए भाषांतर किया गया है। इसी कड़ी में जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं तो हमें एन.सी.टी.ई. विनियम, 2014 पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विनियम में शिक्षक शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष से दो वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही अभ्यास-शिक्षण (इंटर्नशिप) की अवधि भी 16 सप्ताह कर दी गई है। इसी पर आधारित रजनी सिंह और विवेकनाथ त्रिपाठी का शोध पत्र दर्शाता है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थानों तथा उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक-प्रशिक्षकों व विद्यार्थी-शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

तारकेश्वर गुप्ता का शोध पत्र, बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के अभ्यास-शिक्षण में शिक्षण कौशलों के प्रयोग के समय उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा, इस शोध में शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षकों की कमी तथा नीतियों में व्यापक समन्वयता का अभाव पाया गया।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने मौलिक तथा प्रभावी लेख एवं शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजेंगे। आप अपने लेख एवं शोध पत्र हमें ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

अकादमिक संपादकीय समिति